संख्या-884/2017/2436/22-2-2017-17(70)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ बुद्धू पुत्र श्री हेतराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33908/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-15.09.2017, दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ बुद्धू पुत्र श्री हेतराम, जो ग्राम-फरीदपुर सैंथरा, थाना-कायमगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 05-10-1979 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-306/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 14.01.1982 द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2006 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.09.2017 तक 11 वर्ष 05 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 00 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षा में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 15.05.2017 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी वीरेन्द्र उर्फ बुद्धू (बन्दी संख्या-20728) पुत्र श्री हेतराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-884/2017/2436(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।